# <u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

**(पीठासीन अधिकारीः–श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः–347/2013/225 (2013/00004)**

1. गोपाल पुत्र श्रीचन्द,
2. गणपत पुत्र श्रीचन्द,
3. गुमान पुत्र श्रीचन्द,
4. श्रीकरण पुत्र गणपत,
5. करतार पुत्र गणपत,
6. अवतार पुत्र गणपत,

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चाट, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

**अपीलांटस**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

**रेस्पोडेंटस**

**<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 29.8.2013 अंतर्गत प्रकरण संख्या 61/2013.</u>**

**<u>उपस्थितः–</u>**

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता ।

## <u>निर्णय</u>

**दिनांकः– 24.02.2021**

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 29.8.2013 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खाता संख्या 1/1 के खसरा नंबर 1336 रकबा 6.46 मे से 5.0 है0, खसरा नंबर 835 रकबा 0.64 है0, खसरा नंबर 836 रकबा 1.10 है0 एवं खसरा नंबर 1169 रकबा 3.16 है0 भूमियां ग्राम चाट, तहसील नसीराबाद में स्थित है । उपरोक्त आराजियात पर प्रार्थीगण पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध समय–समय पर धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की जाकर शास्ति वसूल की गई है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी इंद्राज हेतु प्रार्थना पत्र राजस्व शिविर कैम्प भटियानी में पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी ने नियमानुसार जांच रिर्पाट प्रस्तुत की तथा ग्राम

पंचायत भटियानी द्वारा भी उक्त भूमि को खातेदारी इंद्राज हेतु अनापत्ति जाहिर की । प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर 100 वषो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थी प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.8.2013 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । समय–समय पर तहसीलदार द्वारा अपीलांटस के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर शास्ति भी वसूली गई है जिससे अपीलांटस के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी इंद्राज हेतु प्रार्थना पत्र राजस्व शिविर कैम्प भटियानी में पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी ने नियमानुसार जांच रिर्पो प्रस्तुत की तथा ग्राम पंचायत भटियानी द्वारा भी उक्त भूमि को खातेदारी इंद्राज हेतु अनापत्ति जाहिर की । प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर 100 वषो से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थी प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । प्रार्थीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष विवादित आराजियात की खातेदारी बाबत् अपीलांटस का वाद विचाराधीन है यदि उसके विचाराधीन रहते अप्रार्थी द्वारा अपीलांटस को विवादित आराजियात से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांटस द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा तथा अपूर्णीय क्षति अपीलांटस को ही होगी । अधी0न्याया0 को वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में निहित होने के बावजूद अधी0न्याया0 ने अंतरिम निषेधाज्ञा पारित नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा ताफैसला वाद अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है जो किसी आदेश की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि विधिक प्रक्रिया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को पाबंद करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है। अधी0न्याया0 ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश नहीं होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक भूमियां है जिस पर अपीलांटस ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है । नियमानुसार पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 29.8.2013 को प्रार्थीगण को सुनकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये है जो आदेश की श्रेणी में न होकर विधिक प्रक्रिया है । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा रिवीजन/एल0आर0/9867/2012/नागौर बउनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 में गाईड लाईन की क्रम संख्या 2 में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये है कि:– '' The Appellate Courts have no jurisidiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under Rule 3 and 3 A of Order 39 of the Code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver."

7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश न होकर अंतरिम आदेश होकर विधिक प्रक्रिया है जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील यद्यपि संधारण योग्य नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्यता को ध्यान में रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर आवश्यक रूप से एक माह में निर्णित करे ।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की है । प्रकरण अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 का आवश्यक रूप से एक माह में निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

9. निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

**(मेघना चौधरी)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**